पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 का विविध आपराधिक वाद सं. 14774

थाना कांड संख्या-1200 वर्ष-2016 थाना-मुंगेर शिकायत मामला जिला-मुंगेर

==========

1. सत्यब्रत सेन, पुत्र- स्वर्गीय नरेंद्र नाथ सेन

2. सुजीत बोस, पुत्र-स्वर्गीय दिलीप कुमार बोस, सभी निवासी- मोहल्ला मोहनपुर, केशोपुर, थाना- जमालपुर, जिला-मुंगेर।

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य

2. माला बोस, पत्नी-श्री सुबीर बोस, मोहल्ला- मोहनपुर, केशोपुर, थाना- जमालपुर, जिला-मुंगेर।

..... विपरीत पक्ष/गण

==========

उपस्थिति:-

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री मनोज कुमार सिंह, अधिवक्ता
श्री सरोज कुमार, अधिवक्ता
श्री रोहित कुमार सिंह, अधिवक्ता
श्री सिकंदर कुमार यादव, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री जय नारायण ठाकुर, ए.पी.पी.

==========

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973---धारा 482---रद्द करना--- भारतीय दंड संहिता---धारा 302, 307, 323, 341, 379, 385, 448, 504, 506---धारा 323, 504 आईपीसी के तहत अपराध का संज्ञान लेने के आदेश को रद्द करने के लिए याचिका।

निष्कर्ष: ओ.पी. संख्या 2 और याचिकाकर्ताओं के बीच पैतृक संपत्ति के दाखिल-खारिज के कारण संपत्ति विवाद था--- ओ.पी. संख्या 2 की शिकायत दर्ज करने से पहले, याचिकाकर्ता संख्या 1 ने ओ.पी. संख्या 2 द्वारा उसके साथ मारपीट की घटना का

*आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी--- उस प्राथमिकी के दर्ज होने के 12 दिन बाद, ओ.पी. संख्या 2 ने अपनी शिकायत दर्ज कराई और ये परिस्थितियां उसकी ओर से शिकायत दर्ज कराने में दुर्भावनापूर्ण इरादे को दर्शाने के लिए पर्याप्त हैं और शिकायत में लगाए गए आरोप प्रकृति में बेतुके प्रतीत होते हैं--- कथित अपराधों के लिए याचिकाकर्ताओं को मुकदमे के अधीन करना, जिसका संज्ञान लिया गया है, उनके लिए पूर्ण उत्पीड़न होगा और अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग भी होगा--- आदेश को चुनौती दी गई और साथ ही याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सभी कार्यवाही रद्द कर दी गई---याचिका स्वीकार की गई। **(पैरा-6)***

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

समक्षः माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह

मौखिक आदेश

10 20-03-2025 यह याचिका दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'सीआरपीसी') की धारा 482 के तहत दायर की गई है, जिसमें विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी, मुंगेर की अदालत द्वारा शिकायत वाद संख्या 1200 (सी) 2016 में पारित दिनांक 25.01.2017 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 323 और 504 के तहत अपराधों का संज्ञान लिया गया है।

2. सर्वप्रथम, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार सिंह ने प्रस्तुत किया कि इस याचिका को दायर करने के पश्चात, याचिकाकर्ता संख्या 2 की मृत्यु ओ.पी. संख्या 2 तथा उसके पति द्वारा किए गए अपराध के कारण हो गई, जिसके लिए जमालपुर पी.एस. मामला संख्या 90/2017 धारा 326 तथा 307 सहपठित धारा 34 आई.पी.सी. के अंतर्गत दर्ज किया गया था, जिसे बाद में आई.पी.सी. की धारा 302 के अंतर्गत परिवर्तित कर दिया गया, अतः उक्त स्थिति के मद्देनजर, याचिकाकर्ता संख्या 2 के संबंध में वर्तमान याचिका निष्फल हो गई है, अतः उसका नाम इस याचिका से हटाया जाए।

3. उपरोक्त निवेदन पर विचार करते हुए, याचिकाकर्ता संख्या 2 का नाम इस याचिका से हटाया जाता है।

4. आदेश का विरोध करने के लिए याचिकाकर्ता संख्या 1 और 3 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने दलील दी कि वर्तमान मामला ओ.पी. संख्या 2 द्वारा दायर शिकायत पर आधारित है और याचिकाकर्ता और ओ.पी. संख्या 2 निकट संबंधी हैं। याचिकाकर्ता संख्या 1 और 3 क्रमशः ओ.पी. संख्या 2 के पति के चाचा और भाई हैं, जबकि याचिकाकर्ता संख्या 2 (अब मृतक) ओ.पी. संख्या 2 के पति की बहन थी और कथित घटना के समय उनके बीच मकान और जमीन से संबंधित कुछ संपत्ति विवाद था, जो एक स्वीकृत स्थिति है और इस संबंध में ओ.पी. संख्या 2 द्वारा दायर शिकायत का अवलोकन किया जा सकता है। ओ.पी. संख्या 2 के पति के पिता द्वारा छोड़ी गई पैतृक संपत्ति के संबंध में ओ.पी. संख्या 2 के पति ने त्यागपत्र देकर अपना अधिकार त्याग दिया तथा उसके बाद ओ.पी. संख्या 2 के पति के पिता के अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों, जिनमें याचिकाकर्ता संख्या 3 भी शामिल है, ने दोनों पक्षों के सामान्य पूर्वज द्वारा छोड़ी गई अचल संपत्ति के म्यूटेशन के लिए अंचल अधिकारी, जमालपुर के समक्ष याचिका दायर की तथा इस संबंध में अनुलग्नक-3 प्रासंगिक है तथा उसका अवलोकन किया जा सकता है तथा उसी आधार पर भूमि तथा अन्य अचल संपत्ति का म्यूटेशन किया गया तथा किराया रसीद जारी की जाने लगी तथा उस म्यूटेशन को अंतिम रूप दिया गया तथा आज तक उसे चुनौती नहीं दी गई, लेकिन ओ.पी. संख्या 2 उस समझौते तथा म्यूटेशन से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए उसने झूठी कहानी गढ़ी, जबकि 30.11.2016 को याचिकाकर्ता संख्या 1 के साथ ओ.पी. संख्या 2 और उसके पति द्वारा मारपीट की घटना की गई थी, जिसके लिए जमालपुर पी.एस. याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा धारा 448, 323, 341, 379, 385, 504 और 506 सहपठित धारा 34 के तहत अपराधों के लिए मामला संख्या 166/2016 पंजीकृत किया गया था और उस घटना में याचिकाकर्ता संख्या 1 को चोटें आईं और इस संबंध में, उस मामले की एफआईआर प्रासंगिक है, जिसकी प्रतिलिपि इस याचिका के साथ अनुलग्नक-2 के रूप में दायर की गई है और उस एफआईआर के प्रतिशोध में और साथ ही म्यूटेशन विवाद के कारण, ओ.पी. संख्या 2 ने याचिकाकर्ता संख्या 1 की एफआईआर के पंजीकरण के लगभग 12 दिन बाद 16.12.2016 को अपनी शिकायत दर्ज की और यह ओ.पी. संख्या 2 की ओर से अपनी शिकायत दर्ज करने में दुर्भावनापूर्ण इरादे को दर्शाने के लिए

पर्याप्त है। यह भी कहा गया है कि ओ.पी. नंबर 2 एक क्रूर महिला है और अपनी शिकायत दर्ज कराने के बाद, उसने और उसके पति ने संगीता बोस, जो इस मामले में शुरू में याचिकाकर्ता नंबर 2 थी, को आग लगाकर बेरहमी से मार डाला, जिसके लिए जमालपुर पी.एस. केस नंबर 90/2017 को आईपीसी की धारा 326 और 307 के साथ धारा 34 के तहत अपराधों के लिए पंजीकृत किया गया था और बाद में इसे आईपीसी की धारा 302 के तहत परिवर्तित कर दिया गया था, जिसके लिए ओ.पी. नंबर 2 और उसके पति को दोषी ठहराया गया था और उन्हें हाल ही में इस न्यायालय द्वारा उनकी अपील के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किया गया था। यह भी कहा गया है कि ओ.पी. नंबर 2 पंजीकृत डाक के माध्यम से उन्हें भेजे गए नोटिस प्राप्त करने के बावजूद इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुई और इस संबंध में कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया जा सकता है।

5. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान एपीपी ने याचिका का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि विवादित आदेश के अनुसार, शिकायतकर्ता के साथ-साथ उसके सभी गवाहों, जो संख्या में दो थे, ने शिकायतकर्ता के मामले का पूरी तरह से समर्थन किया और विद्वान मजिस्ट्रेट ने कथित अपराधों का उचित रूप से संज्ञान लिया है और इस मामले में कोई योग्यता नहीं है।

6. दोनों पक्षों को सुना और विवादित आदेश और अन्य प्रासंगिक सामग्रियों का अवलोकन किया। बेशक, ओ.पी. नंबर 2 और याचिकाकर्ताओं के बीच पैतृक संपत्ति के म्यूटेशन के कारण संपत्ति विवाद था और ओ.पी. नंबर 2 की शिकायत दर्ज करने से पहले, याचिकाकर्ता नंबर 1 ने जमालपुर पी.एस. मामला संख्या 166/2016 में आरोप लगाया गया है कि ओ.पी. संख्या 2 और उसके पति द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है, जिसमें याचिकाकर्ताओं के वकील के अनुसार ओ.पी. संख्या 2 और उसके पति के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था और उस एफआईआर के पंजीकरण के 12 दिन बाद ओ.पी. संख्या 2 ने अपनी शिकायत दर्ज कराई और ये परिस्थितियां उसकी ओर से शिकायत दर्ज कराने में दुर्भावनापूर्ण इरादे को दर्शाने के लिए पर्याप्त हैं और शिकायत में लगाए गए आरोप बेतुके प्रतीत होते हैं, इसलिए इस पहलू पर विचार करने के साथ-साथ याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा उठाए गए उपरोक्त आधारों को देखते हुए, यह न्यायालय इस विचार पर है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 और 3 को कथित अपराधों के लिए मुकदमे के अधीन करना, जिसका संज्ञान लिया गया है, उनके लिए पूर्ण

उत्पीड़न होगा और साथ ही अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, इसलिए, आरोपित आदेश और साथ ही याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सभी कार्यवाही शिकायत मामला संख्या 1200(सी) 2016 के संबंध में संज्ञान आदेश को निरस्त किया जाता है तथा तत्काल याचिका स्वीकार की जाती है।

(श्री शैलेन्द्र सिंह, न्यायमूर्ति)

वार्षिकी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।